अरूण कुमार,
आईपीएस

अ.शा.प.सं.डीजी-सात-एस-4(256)/2011 पार्ट-3

अपर पुलिस महानिरीक्षक,
अपराध एवं कानून व्यवस्था,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
दिनांक: अप्रैल 25.04 - 2013

प्रिय महोदय / महोदया,

विवेचना की गुणवत्ता में सुधार हेतु कृपया अधोहस्ताक्षरी के परिपत्र संख्या 02/2013 दिनांकित 21.02.2013 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

प्राय: देखा जा रहा है कि घटनास्थल में सूचना मिलने पर जो पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सर्वप्रथम पहुंचता है, चाहे वह कंट्रोल रूम के मोबाइल कर्मी या पड़ोसी थाने के कर्मी हो, उनके द्वारा जो घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है उसका विवेचक लाभ नही ले पाता है। इस बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए आपके पास ''क्राइम सीन रिपोर्ट'' का प्रारूप भेजा जा रहा है। (परिशिष्ट - क) यह प्रारूप उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा जायेगा, जो सर्वप्रथम घटनास्थल पर पहुंचते है और प्राथमिक कार्यवाही करते है। यह अधिकारी/कर्मचारी किसी भी यूनिट अथवा थाने या कंट्रोल रूम के हो सकते है। यदि एक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी पहुंचते है, तो उनमें से वरिष्ठ पुलिस कर्मी के द्वारा ही यह प्रारूप भरा जायेगा और उपस्थित सभी कर्मियो का हस्ताक्षर होकर तत्पश्चात् उनकी वापसी पर थाने में दाखिल किया जायेगा, जिसे प्रथम सूचना दर्ज होने के बाद सम्बन्धित केस के विवेचक को उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस सूचना का लाभ विवेचक विवेचना के दौरान ले सकते है।

उपरोक्त इंगित परिपत्र के माध्यम से यह निर्देशित किया गया था कि विवेचक घटनास्थल पर एक कार्ययोजना बनायेगा। अपराधों की कार्ययोजना बनाने के लिए मार्गदर्शिका संलग्नक - ख है।

विभिन्न अपराधों की विवेचना के लिए चेकलिस्ट संलग्नक-ग पर उपलब्ध है। कार्ययोजना बनाते समय और पर्यवेक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाए।

भौतिक साक्ष्यों को एकत्रित करने और उनका वैज्ञानिक तौर से विवेचना में लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि साक्ष्यों का एकत्रीकरण सही ढंग से हो। इस संबंध में मार्गदर्शिका संलग्नक-घ है। Packaging के चित्र के नीचे निर्देश अग्रेजी में दिये गये हैं। उन निर्देशों का हिन्दी अनुवाद संलग्नक-ड पर है।

जैसा कि परिपत्र संख्या:2/2013 में निर्देशित किया गया है कि समस्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त विवेचक अनुमोदन अधिकारी के समक्ष आरोप पत्र और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित करेंगा, संलग्न प्रारूप ''च'' में उस रिपोर्ट का प्रारूप उपलब्ध है। इस प्रारूप में सूचना भरकर अनुमोदन के उपरान्त विवेचक आरोप-पत्र और अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करेंगा। आरोप पत्र (पुलिस परिपत्र संख्या: 339) व अन्तिम रिपोर्ट (पुलिस परिपत्र संख्या: 340) के साथ विवेचक संलग्न प्रारूप-''छ'' में दर्शाये गये कॉलम को भी भरकर प्रेषित करेंगा।

उपरोक्त संलग्नकों-''ग'',''घ'' और ''ड'' की साफ्ट प्रतियां यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मै अपेक्षा करता हूं कि आप सभी जनपद व क्षेत्र स्तर पर कार्य योजना आयोजित कर समस्त विवेचकों को इससे भलीभांति अवगत करायेंगें ताकि विवेचना और भौतिक साक्ष्यों के एकत्रीकरण में गुणात्मक सुधार हो सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

25/4/13

(अरूण कुमार)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

25/4/13